वैवाहिक परिपक्वता
(Maturity in Marriage)

ई० ओ० जेम्स ने विवाह की परिभाषा इस प्रकार दी है, "विवाह मानव समाज में सार्वभौमिक रूप से जानने वाली वह संस्था है जो यौन-सम्बन्ध, गृह-प्रबन्ध, प्रेम तथा मानव स्तर पर व्यक्तित्व के जैवकीय, मनोवैज्ञानिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करती है।"

उपर्युक्त परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसमें दो विषमलिंगी व्यक्ति पारस्परिक रूप से यौन-सम्बन्ध, सन्तानोत्पत्ति,

Scanned with CamScanner

सांस्कृतिकतया एवं व्यक्तित्व के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति निर्धारित कर दे सकते हैं तथा कुछ उत्तरदायित्वों का पालन भी करते हैं। यह केवल उन व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है जो इसके लिए परिपक्व हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कुछ मूलभूत विशेषताएँ होती हैं जिनके अभाव में जीवन कष्टमय हो जाता है और वैवाहिक समायोजन में बाधा पहुँचती है। पति-पत्नी अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार पूरा करते हैं इसी पर सफल वैवाहिक जीवन निर्भर करता है।

वैवाहिक जीवन के लिए मूलभूत विशेषताएँ—

(i) जैविक योग्यता (Biological fitness)
(ii) मनोवैज्ञानिक योग्यता (Psychological fitness)
(iii) आर्थिक योग्यता (Economical fitness)
(iv) वैधानिक योग्यता (Legal fitness)

(i) **जैविक योग्यता** : विवाह के लिए जैविक योग्यता आवश्यक है क्योंकि विवाह का एक उद्देश्य यौन सम्बन्ध भी होता है। विवाह के बाद ही यौन सम्बन्ध को समाज मान्यता देता है। विवाह के बाद यौन-तृप्ति नहीं होने से वैवाहिक समायोजन नहीं हो पाता है तथा सुखी पारिवारिक जीवन नहीं रहता है। जैविक योग्यता के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन योग्यताएँ आती हैं जिनका होना आवश्यक है :

(a) लैंगिक योग्यता (Sexual fitness)
(b) उर्वरता योग्यता (Fertility fitness)
(c) सुजनिकी योग्यता (Eugenic fitness)

(a) **लैंगिक योग्यता** : वैवाहिक जीवन सुखी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वर-वधू शरीर से स्वस्थ हों, उनके शरीर का पूर्ण विकास हो गया हो, यौन-ग्रंथियों का पूर्ण विकास हो। यौन-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यौन-सम्बन्धी अंगों का पूर्ण विकसित होना आवश्यक है। इसके लिए जननेन्द्रियों का स्वस्थ होना आवश्यक है। कुछ पुरुषों में यौन सम्बन्धी अंगों में अनुपयुक्तता पाई जाती है जिस कारण वे यौन-सम्बन्ध स्थापित करने में असमर्थ होते हैं। स्त्रियों में शारीरिक योग्यता की कमी नहीं रहती है। अगर किसी युवक में यौन-सम्बन्धी अंगों में अनुपयुक्तता हो तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए या विवाह के पूर्व इलाज द्वारा इस कमी को दूर कर लेना चाहिए अन्यथा जीवन सुखी नहीं रहता है।

(b) **उर्वरता योग्यता** : वर-वधू में सन्तानोत्पादन की योग्यता का होना आवश्यक है। पुरुष में उर्वरा शक्ति की कमी रहने से संतान उत्पन्न नहीं होती है। संतान न होने के लिए पति-पत्नी दोनों उत्तरदायी हो सकते हैं। दोनों में उर्वरा-शक्ति रहने पर ही संतान उत्पन्न होती है। वर-वधू दोनों में किसी एक पक्ष में उर्वरा-शक्ति कम रहने पर संतान नहीं हो सकती है।

(c) **सुजनिकी योग्यता** : विवाह का उद्देश्य केवल संतान उत्पन्न करना ही नहीं होता बल्कि स्वस्थ संतान उत्पन्न करना होता है। स्वस्थ संतान के लिए माता-पिता को भी मानसिक एवं शारीरिक दृष्टिकोण से स्वस्थ होना चाहिए। उनमें कोई वंशानुक्रम में चलने वाली बीमारी न हो। वर-वधू किसी में संक्रामक रोग न हो। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो पीढ़ी-दर पीढ़ी चलते हैं। ऐसे रोग नहीं होने चाहिए। दोनों में से कोई मानसिक रोगी न हो। यदि कोई मानसिक रोग से

पीड़ित है तो उसे विवाह नहीं करना चाहिए। मानसिक स्वरूप से असंतुलित व्यक्ति को विवाह से दूर रहना चाहिए और यदि विवाह होता भी है तो उसे संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। शारीरिक अस्वस्थता एवं मानसिक अस्वस्थता दोनों का इलाज विवाह के पूर्व करना चाहिए।

(ii) मनोवैज्ञानिक योग्यता : सुखी पारिवारिक जीवन के लिए जैविक योग्यता के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक योग्यता भी आवश्यक है। विवाह के बाद आनेवाली जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय व्यतीत करने के लिए एवं वैवाहिक समायोजन स्थापित करने के लिए वर-वधू में मानसिक परिपक्वता होनी चाहिए और यही मनोवैज्ञानिक योग्यता होती है। परिवार की जिम्मेवारियों को अच्छी तरह पूरा करने के लिए, सुखी आदर्श परिवार की कल्पना को साकार करने के लिए त्याग की आवश्यकता पड़ती है। विवाह के बाद पति-पत्नी दोनों का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है और जो इस उत्तरदायित्व को निभा नहीं सकता है या पारस्परिक इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है वह विवाह करने के योग्य नहीं रहता है। ऐसे में परिवार में क्लेश एवं मानसिक संवेदना बनी रहती है। परिवार के सुख के लिए पति-पत्नी के बीच एक आपसी समझ का होना आवश्यक है। दोनों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। दोनों के बीच भावनात्मक सम्बन्ध परिपक्व होने से मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध उतना ही दृढ़ होता है जिसका प्रभाव बच्चों के संवेगात्मक विकास पर उचित रूप से होता है, क्योंकि परिवार का मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता पड़ती है और माता-पिता में मानसिक परिपक्वता रहने से ही स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है।

(iii) आर्थिक योग्यता : सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आर्थिक योग्यता भी आवश्यक है। जिस परिवार में आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्त्ति नहीं होती है, वहाँ अशान्ति बनी रहती है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। विवाह के पूर्व यह देख लेना चाहिए कि लड़का आर्थिक रूप से इतना समर्थ है कि वह अपनी पत्नी तथा बच्चों का बोझ उठा सके। बच्चों का उचित पालन-पोषण में धन व्यय होता है। अगर आर्थिक रूप से पति समर्थ नहीं है तो उसे बच्चा पैदा भी नहीं करना चाहिए। वर को इतना अवश्य कमाना चाहिए ताकि वह परिवार की आवश्यकताओं की पूर्त्ति कर सके।

(iv) वैधानिक योग्यता : संसार के सभी राष्ट्रों में विवाह के लिए कुछ कानूनी योग्यताएँ होती हैं जिनका पालन करने पर ही विवाह वैध माना जाता है। हिन्दू विवाह में निम्नलिखित कानूनी योग्यताएँ हैं :

(a) पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो।
(b) दोनों ही पक्षों में पहले का पति या पत्नी जीवित न हो।
(c) स्त्री-पुरुष में रक्त का निकट सम्बन्ध न हो।

आजकल विवाह की आयु के सम्बन्ध में काफी मतभेद है। यद्यपि इन कानूनों का पालन न करना दण्डनीय अपराध है तथापि इनका उचित रीति से पालन नहीं होता है।

Scanned with CamScanner

उपर्युक्त बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि विवाह के पूर्व दोनों पक्षों के अभिभावकों को यह देख लेना चाहिए कि वर-वधू शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से परिवार बसा कर जिम्मेवारियों को निभाने के लिए परिपक्व हैं या नहीं। नवयुवक एवं नवयुवतियों को भी विवाह के पूर्व यह देखना चाहिए कि वे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से वैवाहिक जीवन को व्यतीत करने के योग्य हैं या नहीं। अगर इनमें कोई कमी रहती है तो विवाह वे न करें या पहले उस कमी को पूरा करें तब विवाह करें।

Scanned with CamScanner